



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 985) पटना, वृहस्पतिवार, 13 अगस्त 2026

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
11 अगस्त 2026

सं० 09/सी0बी0आई0-80-04/2024-9884/गृ0आ0—बिहार के राज्यपाल द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर पूर्व की सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार या भारत सरकार के अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकार या भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई निगम, कम्पनी या बैंक से संबंधित मामलों में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत अपराध तथा साईबर अपराध के मामलों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को सम्पूर्ण बिहार राज्य में अन्वेषण करने की शक्ति और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की सहमति प्रदान की जाती है।

परन्तु, उपर्युक्त से संबंधित अपराध जब बिहार सरकार के कार्य से संबंधित नियुक्त लोक सेवकों या बिहार सरकार के स्वामित्व में एवं बिहार सरकार द्वारा नियंत्रित कोई निगम, कम्पनी या बैंक या बिहार सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करता हुआ, कर चुका हुआ किसी संस्थान के कार्य से संबंधित नियुक्त व्यक्तियों से हो, तब दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा वैसे किसी अपराध का अन्वेषण किये जाने के लिये बिहार सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रत्येक मामलों में अन्वेषण की शक्ति प्रदान किये जाने के विषय में राज्य सरकार विचार कर निर्णय लेगी।

राज्यपाल, बिहार के आदेशानुसार,
प्रणव कुमार,
सरकार के सचिव।

**Home Department
(Police Branch)**

Notification

The 11th August 2026

No.9/C.B.I-80-04/2024-9884/ HP—In exercise of the powers conferred by section-6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, and in supersession of all previous notifications on this subject, the Governor of Bihar hereby grants consent to the members of the Delhi Special Police Establishment to exercise powers and jurisdiction to investigate throughout the entire State of Bihar regarding offences under The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 and The Information Technology Act, 2000 as well as cybercrime cases, involving the Government of India, local authorities subordinate to the Government of India, or any corporation, company, or bank owned or controlled by the Government of India.

Provided that, in cases where the aforementioned offences involve public servants appointed in connection with the affairs of the Government of Bihar or persons appointed in connection with the affairs of any corporation, company or bank owned and controlled by the Government of Bihar or any institution receiving or having received financial assistance from the Government of Bihar, it shall be mandatory to obtain the prior consent of the Government of Bihar for the investigation of such offences by the members of the Delhi Special Police Establishment. Furthermore, upon receipt of a proposal from the members of the Delhi Special Police Establishment, the State Government shall consider and decide on the matter of granting investigation powers on case-to-case basis in such cases.

**By order of the Governor of Bihar,
PRANAV KUMAR,
Secretary to the Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 985-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>